1/5/18

आज P.O.सा. ऊम्प कोर्ट से व्यक्त
जनरल तौर पर गई गत आदेशों
की पालना में दिनांक 10/7/18
को पेश हो।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

28-8-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट नाथद्वारा में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कैम्प कोर्ट में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थियों के द्वारा तामीला एवं तगाई जिसे शामिल मान लिया है जिसे अपने प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आवाई निषेधाज्ञा निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थियों का प्रार्थना पत्र आवाई निषेधाज्ञा निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी मंगलू को मूल गाटे में निस्तारा तक इस आशय से आवाई निषेधाज्ञा के प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम नाथद्वारा तहसील रिछेड़ा स्थित ज.न.

सहायक कलक्टर
रीछेड़ा

सुनीता

मिश्रीलाल

बाबूलाल

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
रीछेड़ा जिला राजसमन्द

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2402/0.11, 2403/0.32, 2404/0.30 कुल 3 कुल रकबा 0.73 है. भूमि के सम्बन्ध रिमार्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखें। प्रकरण की समझौता हो गया है। पक्षकारों ने समझौता कर दस्तावेज प्रस्तुत किए व मामला खारिज किया जाता है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मण्डेश्वर के समक्ष आज में लिखाया जाकर सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर
सोहा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सोहा जिला दौसा